U.P. ARCHITECTS ASSOCIATION®

Regd. Under the Societies (Uttar Pradesh Amendment 1975) Act 1860 Since 1987

A2304, Charms Castel, Raj Nagar Extension, Ghaziabad-201017 +91-9837393793 www.uparchitects.org

PRESIDENT
AR. JAGESH KUMAR
2, Prem Prayag Colony, Garh Road,
Meerut - 250 004
Mob.: +91-9837393793

GENERAL SECRETARY
AR. ANKIT AGARWAL
1st Floor, S2S, Nirmal Arcade 47,
Garh Road, Meerut - 250002
Mob.: +91-9997847510

PATRON
AR. YOGESH CHANDRA
Ghaziabad
(+91-9897177196)

I.P.P.
AR. VINEET GARG
Noida
(+91-9999082099)

VICE PRESIDENT

AR. ANKUR BANSAL
Meerut
(+91-9837081156)

AR. N.K. SHARMA
Ghaziabad
(+91-9810200635)

AR. VIPUL GUPTA
Noida
(+91-9350859500)

AR. VINAYAK GUPTA
Moradabad
(+91-9359438900)

TREASURER
AR. AMIT AGARWAL
Agra
(+91-9837016747)

JOINT SECRETARY
AR. AKSHAT GARG
Moradabad
(+91-9927208888)

CO-ORDINATOR
AR. CHIRAG GUPTA
Meerut
(+91-892712131)

पत्रांक सं: UPAA/AMEND/MHUP/GOI/2022-23/L-54

दिनांक:31 जनवरी 2023

सेवामे,
आदरणीय हरदीप सिंह पुरी जी,
माननीय मंत्री, आवासन एवं शहरी कार्य,
भारत सरकार

विषय - आर्किटेक्ट एक्ट 1972 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संज्ञान में यह तथ्य लाना समीचीन है कि आर्किटेक्ट्स सेवा एक विशेषज्ञ सेवा है जिसमे वर्तमान समय में कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जिनके कारण उक्त सेवा के विनियमन में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है जिसका मुख्य कारण अधिनियम में कुछ विषयो का स्पष्ट प्रावधान न होना है। आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972 भारत सरकार द्वारा इस आशय से अधिनियमित किया गया था कि समाज को वास्तुविदों की विशेषज्ञता का लाभ मिल सके तथा आर्किटेक्ट्स (वास्तुविद) के हितो का संरक्षण किया जा सके। वैश्वीकरण के इस दौर में विधि में दिए गए कुछ अस्पष्ट उपबंधों के कारण देश के वास्तुविदों को जहाँ हतोत्साहित होना पड़ रहा है वही कुछ ऐसे व्यक्ति इन परिस्थितियों से लाभान्वित हो रहे है जो कि आर्किटेक्ट नहीं हैं तथा स्वयं भारत सरकार द्वारा गठित एक मात्र विधिक संस्था "**काउन्सिल ऑफ़ आर्किटेक्चर**" के तहत पंजीकृत (रजिस्टर्ड) ना होते हुए भी कार्य कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप पंजीकृत आर्किटेक्ट्स की प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है, तथा समाज को वास्तुविदों की विशेषज्ञता का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

For U.P. ARCHITECTS ASSOCIATION

Gen. Secretary

इस प्रकार की समस्याओ के निराकरण हेतु आर्किटेक्ट्स (संशोधन) बिल 2010 प्रस्तावित किया गया था जिस पर मानव संसाधन विकास हेतु निर्मित संसदीय स्थायी समिति के चेयरमैन श्री ऑस्कर फर्नांडीज द्वारा अपनी 229वीं रिपोर्ट 17 जनवरी 2011 को प्रस्तुत की गई थी। उक्त संशोधन बिल किसी कारणवश पारित नहीं हो सका। आर्किटेक्ट्स एक्ट में संशोधन हेतु वाणिज्य मंत्रालय द्वारा भी आपके मंत्रालय को पूर्व में अवगत कराया गया था जिस क्रम में मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा आर्किटेक्ट जे० आर० भल्ला, वरिष्ठ वास्तुविद, की अध्यक्षता में आर्किटेक्ट अधिनियम 1972 में संशोधन प्रस्तावित करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त समिति ने वर्ष 2015 में आर्किटेक्ट एक्ट 1972 में संशोधन हेतु एक रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी, जो कि आज तक विचाराधीन है। काउन्सिल ऑफ़ आर्किटेक्चर द्वारा भी सन 2010 व 2018 में आर्किटेक्ट्स एक्ट में संशोधन हेतु प्रस्तावित मसौदा प्रस्तुत करते हुए संशोधन की अभियाचना की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में केंद्र सरकार द्वारा आर्किटेक्ट्स(संशोधन) बिल 2018 संसद में प्रस्तुत किया गया था, वह भी आज तक पारित नहीं हो पाया है।

विधि कभी भी नियत नहीं रहती है बल्कि यह समय के साथ साथ लगातार क्रियाशील रहती है। यहाँ इस तथ्य का उल्लेख किया जाना भी वांछित है कि आर्किटेक्ट्स एक्ट का अधिनियमन सन 1972 में किया गया था जिसके पश्चात् समय के साथ-साथ कुछ ऐसी जटिलताएं उत्पन्न हो गई हैं जिनके कारण भी आर्किटेक्ट्स के हितों का लगातार हनन हो रहा है। हाल ही में **माननीय उच्चतम न्यायालय** द्वारा पारित निर्णय ने भी रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिसको दूर करने हेतु भी संशोधन आवश्यक हो गया है। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आर्किटेक्ट एक्ट 1972 में संशोधन किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायसंगत होगा।

अतः सम्पूर्ण वास्तुविद समुदाय की ओर से आपसे अनुरोध है कि उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, वास्तुविदों की तकनीकि दक्षता का राष्ट्र के नवनिर्माण हेतु तथा इस अमृत काल में वास्तुविद सेवा के उत्थान के साथ- साथ समाज को वास्तुविदों की विशेषज्ञता का लाभ प्रदान किये जाने हेतु, आर्किटेक्ट एक्ट 1972 में नियमानुसार संशोधन कराने की कृपा करे, जिससे भारी मात्रा में हो रहे नव निर्माण कार्यो में पर्यावरणीय संतुलन रखते हुए अपेक्षित दक्षता का समावेश हो सके तथा राष्ट्र को निर्माण लागत कटौती के साथ पर्यावरणीय लाभ भी मिल सके तथा शहरो के साथ-साथ सम्पूर्ण राष्ट्र का भी सुनियोजित विकास हो सके।

सादर

For U.P. ARCHITECTS ASSOCIATION

Gen. Secretary

आर्किटेक्ट अंकित अग्रवाल

महासचिव